आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) का स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक के कृषि भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 1.10है. व खसरा नम्बर 0.11है. में आवागमन हेतु अप्रार्थी के भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 1.49 है. नजरी नक्शा में अंकित बिन्दु ए से बी तक लम्बाई 140 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षैत्रफल 560 वर्गमीटर भूमि को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. की दौगुना रकम राशि प्राथीगण द्वारा जमा करवाये जाने के पश्चात् ही उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10/11/18 मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
जिला झुन्झुनू (राज.)